



मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 1087/15/2005/10-1.
प्रति.

भोपाल, दिनांक 15.3.2005

Chief Conservator of Forests (Admin.)
M. P. BHOPAL
17/3/05

मुख्य वन संरक्षक (प्रशा/अराजी),
म.प्र., भोपाल ।

विषय- अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में नियुक्तियों पर प्रतिबंध से छूट के संबंध में ।

संदर्भ- आशकी यू.ओ.टीय क्रमांक 1105, दिनांक 28.12.2004

कृपया उपरोक्त विषय में संदर्भित टीय का अवलोकन करें ।

2/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशा/अराजी) की उक्त टीय में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11/20/2005/नियम/चार, दिनांक 11.10.2004 के निर्देशों का संदर्भ देकर स्वीकृत पदों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति करने की छूट देने का प्रस्ताव किया गया है । शासन द्वारा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभिमत दिया गया है कि " अनुकम्पा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं है ।"

3. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.10.2004 द्वारा अनुकम्पा नियुक्तियों प्रतिबंधित नहीं की गई है ।

(Signature)
डॉ. के. के. यादव
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्र 1/क्र 6/सा
21/3/05